राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक : 26/6/2020

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

विषय–अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्त मृतक आश्रित कर्मचारियों की ली जाने वाली टंकण परीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.6.2017 के अनुसार जिला स्तर पर गठित परीक्षा आयोजन समिति द्वारा एक वर्ष में तीन बार टंकण परीक्षा का आयोजन किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त परिपत्र में निर्धारित समय सारणी के अनुसार 01.12.19 से 31.3.20 तक टंकण परीक्षा हेतु आवेदन करने वालों की परीक्षा माह मई में ली जानी थी किन्तु कोविड–19 के कारण प्रदेश में लॉक डाउन की स्थिति के मध्यनजर उक्त परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है । इसी प्रकार परिपत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की 30 जून 2020 तक दो विशेष टंकण परीक्षाऐं भी आयोजित करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे, किन्तु उक्त परीक्षाऐं भी लॉक डाउन के फलस्वरूप आयोजित नहीं हो सकी । अतः टंकण परीक्षा आयोजन के संबंध में विभिन्न जिला कलक्टरों से राय हेतु प्रकरण इस विभाग में प्राप्त हो रहे हैं।

राज्य में दिनांक 20.03.2020 से लॉक डाउन की परिस्थितियों के मध्यनजर मृतक आश्रित कर्मचारियों की टंकण परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून 2020 तक आयोजित की जाने वाली मृतक आश्रित कर्मचारी की दो विशेष टंकण परीक्षाओं का आयोजन 30 सितम्बर, 2020 तक कर लिया जावे । इसके साथ ही परिपत्र दिनांक 21.6.2017 के अनुसार दिनांक 01.12.2019 से 31.3.2020 तक आवेदन करने वालों की टंकण परीक्षा जो माह मई, 2020 में आयोजित नहीं हो पाई है, वह परीक्षा सितम्बर, 2020 में होने वाली परीक्षा के साथ आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(जय सिंह)
उप शासन सचिव